



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022 (MAGHA 13, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2022

**संख्या 06/जीएसटी-2.-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।  
(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाये, ये नियम 29 दिसंबर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 36 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-
  - (4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे बीजको या नामे नोट, जिनके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने अपेक्षित हो, के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय तब तक प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि-
    - (क) ऐसे बीजको या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में बाह्य प्रदाय की विवरण में नहीं दिए गए हों या ऐसे बीजको को प्रस्तुत करने की सुविधा का प्रयोग न किया गया हो; और
    - (ख) ऐसे बीजको या नामे नोट के ब्यौरे नियम 60 के उपनियम (7) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2ख में पंजीकृत व्यक्ति को संसूचित नहीं किए हों।";
3. उक्त नियमों में, नियम 80 में, -
  - (क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 को या से पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।";
  - (ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) उपनियम (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए, उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण, 28 फरवरी, 2022 को या से पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 95 में, उपनियम (3) में, खंड (ग) में,—

(i) अन्त में, विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) बाद में, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या, कर बीजक में उल्लिखित नहीं है तो ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदाय कर का प्रतिदाय केवल तभी प्राप्त किया जाएगा, यदि बीजक की प्रति आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है और प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10 में प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।”

5. उक्त नियमों में, नियम 142 में,—

(क) उपनियम (3) में “माल और प्रवहण को निरुद्ध करने या जब्त करने के चौदह दिन” शब्दों के स्थान पर, “धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिन के भीतर किंतु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी करने से पूर्व” शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे तथा;

(ख) उपनियम (5) में, “कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य कर, ब्याज और शास्ति” शब्दों के स्थान पर “संबंधित व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य कर, ब्याज और शास्ति, जैसी भी स्थिति हो,” शब्दों को प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

“144क. अभिवहन में निरुद्ध या जब्त माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली.—(1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राकल्लन करके इस प्रकार निरुद्ध या जब्त किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु जहां निरुद्ध या जब्त माल की प्रकृति नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।

(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय नीलामी, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में नोटिस जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किंतु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पहले, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की राशि, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी शामिल है, का भुगतान करता है, तो समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा।

(3) बोली प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन या नीलामी की तिथि, उपनियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस के जारी किए जाने की तिथि से पन्द्रह दिन से पहले की नहीं होगी :

परन्तु जहां निरुद्ध या जब्त माल की प्रकृति नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।

(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की राशि को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकती है, उस दशा में समपहृत की जा सकती है, जब सफल बोली लगाने वाला पूरी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है।

(5) समुचित अधिकारी, नीलामी की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा करते हुए सफल बोली लगाने वाले को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 में नोटिस जारी करेगा:

परन्तु जहां निरुद्ध या जब्त माल की प्रकृति नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।

(6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण राशि का भुगतान किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है ।

(8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील दायर की गई है, वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में निरुद्ध या जब्त माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्त्र की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी:

परंतु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 154 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“154.(1) माल या प्रवहण और चल या अचल संपत्ति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान.- व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन भुगतान योग्य शास्त्र की वसूली के लिए, माल या प्रवहण, चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई राशि,-

- (क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के लिए विनियोजित की जाएगी ;
- (ख) इसके बाद, धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली राशि या उसके अधीन भुगतान योग्य शास्त्र के भुगतान के लिए विनियोजित की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो;
- (ग) इसके बाद, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य राशि के लिए विनियोजित की जाएगी ; और
- (घ) अतिशेष, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, और जहां उक्त व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है, तो उक्त राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तिथि से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमों का अतिशेष का भुगतान करना संभव नहीं है, तो विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 159 में,-

- (क) उपनियम (2) में,-
  - (अ) “कुर्की के आदेश की प्रति” शब्दों के पश्चात्, “प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22 में” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे;
  - (आ) “जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।” शब्दों और चिह्न के पश्चात् “और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी, जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई है।” शब्द, चिह्न और अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे।
- (ख) उपनियम (3) में,-
  - (अ) “और यदि कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “और यदि व्यक्ति, जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित गए समझे जाएंगे;
  - (आ) “कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे व्यक्ति” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित गए समझे जाएंगे;
- (ग) उपनियम (4) में, दो स्थानों पर आने वाले “कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थानों पर, “ऐसे व्यक्ति” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (घ) उपनियम (5) में, “कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा” शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

**"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10**

[ देखिए नियम 144 (2) और 144क]

**अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन नीलामी के लिए नोटिस**

मांग आदेश संख्या

तिथि:

अवधि :

चूंकि, मेरे द्वारा आदेश.....रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए तथा धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली प्रक्रिया पर उपगत अनुज्ञेय व्यय के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए कुर्क या करस्थम माल के विक्रय के लिए किया गया है ।

या

चूंकि, धारा 129 के अधीन निरूद्ध या जब्त माल या प्रवहण धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय.....रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उपगत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विक्रय या निपटान के लिए दायी है ।

विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा होगा और माल तथा/या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यतिक्रमी का अधिकार हक और हित होगा। और उक्त संपत्तियों से संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है वो संपत्तियां है जिन्हें प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नीलामी तिथि..... को.....बजे आयोजित की जाएगी ।

प्रत्येक लाट का मुल्य., विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशानुसार भुगतान किया जाएगा और भुगतान के व्यतिक्रम में माल और/या प्रवहण, नीलामी और पुनः विक्रित के लिए पुनः रखा जाएगा।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	माल या प्रवहण का विवरण	मात्रा
1	2	3

स्थान: हस्ताक्षर

तिथि: नाम:

पदनाम:” ।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 में,-

(क) "देखिए नियम 144 (5) और 147 (12)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "देखिए नियम 144 (5), 144क और 147 (12)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "माल" शब्द के स्थान पर "माल या प्रवहण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में,-

(क) "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिए" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "माल" शब्दों, के स्थान जहां कही भी आते हैं "माल या प्रवहण" शब्द" प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ग) "धारा 79 (1) (ख)/(घ) के उपबंधों" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात् "या धारा 129 (6)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

**"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22**

[ देखिए नियम 159 (1)]

संदर्भ संख्या.:

तिथि:

सेवा में

नाम.....

पता.....

(बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था/अचल संपत्ति का पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी)

**धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की**

यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(नाम) जिनका .....(पता) पर कारबार का मुख्य स्थान है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या.....(जीएसटीआईएन/आईडी), पैन रजिस्ट्रीकृत कराधेय है।

या

यह सूचित किया जाता है कि श्री.....(नाम) निवासी.....(पता) जिनकी पैन संख्या.....और/या आधार संख्या.....है, धारा 122 की उप-धारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है।

उक्त अधिनियम की धारा.....के अधीन उक्त व्यक्ति पर शोध कर या किसी अन्य राशि को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका <<खाता संख्या>>..... है।

या

.....पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>।

या

यान संख्या..... <<वर्णन>>

या

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..... << (वर्णन) >>

राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं..... (नाम), .....(पदनाम) पूर्वोक्त खाता/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूँ।

इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

या

ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति (व्यक्ति का नाम) ।

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में, -

- (क) "/अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण", शब्दों के पश्चात्, "/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी" चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे;
- (ख) दो बार आने वाले, "ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "उक्त सम्पत्ति की ऐसी कुर्की अपेक्षित नहीं है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, प्ररूप एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के नीचे सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल राशि	
(क) स्वीकृत राशि	कर/उपकर					< योग>	< योग>
	ब्याज					< योग>	
	शास्ति					< योग>	
	फीस					< योग>	
	अन्य प्रभार					< योग>	
(ख) पूर्व जमा (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10 % किन्तु 25 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं							
(ग) धारा 129 की उपधारा (3) के मामले में पूर्व जमा	शास्ति					<योग>"।	

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

**“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22क”**

[ देखे नियम 159 (5)]

संदर्भ संख्या

तिथि:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....(अधिकारिता)

**संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन**

चूंकि, एआरएन संख्या.....द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है ।

संदर्भ पहचान संख्या	
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति
अनंतिम रूप से कुर्क खाता	बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या
अनंतिम रूप से कुर्क यान	यान के ब्यौरे
कोई अन्य संपत्ति	ब्यौरे

2. हरियाणा माल और सेवा अधिनियम, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरा आक्षेप प्रस्तुत करता हूं ।

<<..... >>

<<.अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..>>

**सत्यापन**

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

नाम-

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) -

पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलों में) -

स्थान -

तिथि -

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर” ।

अनुराग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 2nd February, 2022

**No. 06/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2022.  
(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 29th December, 2021.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules),—
  - (i) in rule 36, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2022, namely: -  
“(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,-  
(a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility; and  
(b) the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in **FORM GSTR-2B** under sub-rule (7) of rule 60.”;
3. In the said rules, in rule 80,—
  - (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for the financial year 2020-2021, the said annual return shall be furnished on or before the twenty-eighth day of February, 2022.”;
  - (b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), for the financial year 2020-2021, the said self-certified reconciliation statement shall be furnished alongwith the said annual return on or before the twenty-eighth day of February, 2022.”;
4. In the said rules, in rule 95, in sub-rule (3), after clause (c),-
  - (i) for existing sign “.”, the following sign “:” shall be substituted;
  - (ii) the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2021, namely:-  
“**Provided** that where Unique Identity Number of the applicant is not mentioned in a tax invoice, the refund of tax paid by the applicant on such invoice shall be available only if the copy of the invoice, duly attested by the authorized representative of the applicant, is submitted along with the refund application in **FORM GST RFD-10**.”;
5. in the said rules, in rule 142, -
  - (a) in sub-rule (3), for the words and letters, “fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance”, the words, brackets and figures, “seven days of the notice issued under sub-section (3) of section 129 but before the issuance of order under the said sub-section (3)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2022;
  - (b) in sub-rule (5), for the words, “tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax”, the words, “tax, interest and penalty, as the case may be, payable by the person concerned” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2022.
6. In the said rules, after rule 144, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-  
“**144A. Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit.**- (1) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) of section 129 within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3) of the said section 129, the proper officer shall proceed for sale or disposal of the goods or conveyance so detained or seized by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance:  
Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.



(2) The said goods or conveyance shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-10** clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale:

Provided that where the person transporting said goods or the owner of such goods pays the amount of penalty under sub-section (1) of section 129, including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance, after the time period mentioned in sub-rule (1) but before the issuance of notice under this sub-rule, the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance.

(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.

(5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(6) On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate in **FORM GST DRC-12**.

(7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.

(8) Where an appeal has been filed by the person under the provisions of sub-section (1) read with sub-section (6) of section 107, the proceedings for recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit under this rule shall be deemed to be stayed:

**Provided** that this sub-rule shall not be applicable in respect of goods of perishable or hazardous nature. ”;

7. In the said rules, for rule 154, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022, namely:—

**“Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable property.—**

**154.** (1) The amounts so realised from the sale of goods or conveyance, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty payable under sub-section (3) of section 129 shall,—

- (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
- (b) next, be appropriated against the amount to be recovered or to the payment of the penalty payable under sub-section (3) of section 129, as the case may be;
- (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and
- (d) the balance, if any, shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, in case the person is registered under the Act, and where the said person is not required to be registered under the Act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned;

(2) where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, as per clause (d) of sub-rule (1), to the person concerned within a period of six months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the Fund;

8. In the said rules, in rule 159,—

(a) in sub-rule (2)-

- (A) after the words “copy of the order of attachment”, the words, letters and figures “in **FORM GST DRC-22**” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st January, 2022;

- (B) after the words “Commissioner to that effect.”, the words and figures, “and a copy of such order shall also be sent to the person whose property is being attached under section 83” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022;
- (b) in sub-rule (3)-
- (A) for the words “and if the taxable person”, the word “and if the person, whose property has been attached,” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022;
- (B) for the words “by the taxable person”, the words, “by such person” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022;
- (c) in sub-rule (4), for the words “the taxable person” occurring at both the places, the words “such person” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022;
- (d) in sub-rule (5), for the words brackets and figure “, within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection”, the words, letters and figures “file an objection in **FORM GST DRC-22A**” shall be substituted shall be deemed to have been substituted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022;
9. In the said rules, for “**FORM GST DRC-10**”, the following form shall be substituted shall be deemed to have been substituted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022, namely:-

**“FORM GST DRC – 10**

*[See rule 144(2)&144A]*

**Notice for Auction under section 79 (1) (b) or section 129(6) of the Act**

Demand order no.:

Date:

Period:

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs..... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

Or

Whereas the goods or conveyance detained or seized under section 129 are liable for sale or disposal in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 129 for recovery of penalty of Rs..... payable under sub-section (3) of section 129 and the expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance and other administrative expenses

The sale will be by public auction and the goods and/or conveyance shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The auction will be held on ..... at.... AM/PM.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods and/or conveyance shall be again put up for auction and resold.

**Schedule**

Serial Number	Description of goods or conveyance	Quantity
1	2	3

Place:

Signature

Date:

Name

Designation: ”

10. In the said rules, in **FORM GST DRC-11,-**

- (a) for the words, figures, letter and brackets “See rule 144(5) & 147(12)”, the words, figures and brackets “See rule 144(5),144A and 147(12)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (b) for the word “goods”, the words “goods or conveyance” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;

**11. In the said rules, in FORM GST DRC-12,-**

- (a) for the words, figures, brackets and letter “See rule 144(5) & 147(12)”, the words, figures and brackets “See rule 144(5),144A and 147(12)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (b) for the word “goods”, wherever it occurs, the words “goods or conveyance” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (c) after the words, figures, brackets and letters “provisions of section 79(1)(b)/(d)”, the words, figures and brackets “or section 129(6)” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st January, 2022;

**12. In the said rules, for FORM GST DRC-22, the following form shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022; namely:-****“FORM GST DRC -22***[See rule 159(1)]*

Reference No.:

Date:

To

..... Name

..... Address

(Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority)

**Provisional attachment of property under section 83**

It is to inform that M/s -----(name) having principal place of business at -----  
----- (address) bearing registration number as ----- (GSTIN/ID), PAN is a registered taxable person under the <<SGST/CGST>> Act.

or

It is to inform that Sh.....(name) resident of..... (address) bearing PAN  
.....and/or Aadhaar No. .... is a person specified under sub-section (1A) of Section 122 .

..... Proceedings have been launched against the  
aforesaid person under section <<----->> of the said Act to determine the tax or  
any other amount due from the said person. As per information available with the department, it has come  
to my notice that the said person has a -  
<<saving / current / FD/RD / depository >>account in your << bank/post office/financial institution>> having  
account no. << A/c no. >>;

or

property located at &lt;&lt; property ID &amp; location&gt;&gt;.

or

Vehicle No. .... &lt;&lt;description&gt;&gt;

or

Others (please specify) ..... &lt;&lt;description&gt;&gt;

In order to protect the interests of revenue and in exercise of the powers conferred under section 83 of  
the Act, I ----- (name),----- (designation), hereby provisionally attach the aforesaid  
account / property.

No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the  
aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department.

or

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission  
of this department.

Signature

Name

Designation

Copy to (person)”

**13.** In the said rules, in **FORM GST DRC-23**,-

- (a) after “/Immovable property registering authority”, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2022, namely:-

“/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority”;

- (b) for the words “proceedings pending against the defaulting person which warrants the”, occurring twice, the words, “requirement of” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2022;

**14.** In the said rules, in **FORM APL-01**, in entry number 15, for the table under clause(a), the following table shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022, namely:-

Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount	
(a) Admitted amount	Tax/ Cess					< total >	
	Interest					< total >	
	Penalty					<total >	
	Fees					< total >	
	Other charges					< total >	
(b) Pre-deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)	Tax/ Cess					< total >	< total >
(c) Pre-deposit in case of sub-section (3) of section 129	Penalty					< total >;	

15. In the said rules, after **FORM GST DRC-22**, the following form shall be inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

**“FORM GST DRC – 22A**

[See rule 159(5)]

Reference No.:

Date:

ARN No. of Order in FORM GST DRC-22:

To

The Pr. Commissioner/Commissioner  
.....(Jurisdiction)

**Application for filing objection against provisional attachment of property**

Whereas, an order in FORM GST DRC-22 has been issued for provisional attachment of the following property under the provisions of section 83 of the Act vide ARN No.....

Ref. ID	
Property provisionally attached	<< property id & location>>
Account provisionally attached	<<saving/current/FD/RD/depository account no>>
Vehicle provisionally attached	<<Vehicle details>>
Any other property	<<details >>

2. In accordance with the provisions of Rule 159(5) of the HGST Rules , 2017, I hereby submit my objection on the basis of following facts and circumstances.

<<.....>>

<<...Documents to be uploaded...>>

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Name-

GSTIN (in case of registered person)-

PAN and/or Aadhaar No. (in case of others)-

Place –

Date –

Signature of Authorized Signatory”.

ANURAG RASTOGI,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.